राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
Website:- www.rajsec.rajasthan.gov.in, Email:- secraj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ.3(75)स्टोर / रानिआ / 2019 / 3081 दिनांकः 12/7/21

खुली बोली निविदा सूचना संख्या 01/2021–22

राज्य निर्वाचन आयोग मे कार्यालय स्टेशनरी एवं कम्प्युटर स्टेशनरी की एक वर्ष हेतु दर संविदा करने के प्रयोजनार्थ पंजीकृत फर्मो से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निर्धारित निविदा शुल्क 200 / – (प्रतिदेय नहीं) जमा करवाया जाकर दिनांक 13.07.2021 से 20.07.2021 दोपहर 02:00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक 20.07.2021 सांय 4:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवाये जा सकते है। प्राप्त निविदांए दिनांक 22.07.2021 को दोपहर 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.सं.	वस्तु का नाम	वार्षिक अनुमानित राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	स्टेशनरी आईटम एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी आईटम	2.50 लाख	200 / –

जो निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जावेगी, उन्हें रद्द कर दिया जावेगा। निविदादाता बिड सिक्यूरिटी के स्थान पर संलग्न प्रारूप में 50 / – के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेंगे, घोषणा पत्र के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा प्रपत्र आयोग की वेबसाईट **www.rajsec.rajasthan.gov.in** एवं **http://sppp.rajasthan.gov.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जिसका निर्धारित शुल्क राशि रू. 200 / – का पृथक से बैकर्स चैक / डी.डी., सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में टेण्डर फार्म के साथ जमा करवाने पर ही निविदा प्रपत्र मान्य होंगे। किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.3(75)स्टोर / रानिआ / 2019 / 3082 दिनांकः 12/07/2021

प्रतिलिपिः– प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजकर लेख है कि बोली सूचना एवं बोली प्रपत्र आदि SPPP Portal एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

(प्रवीण कुमार)
कार्यालयाध्यक्ष

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
Website: **www.rajsec.rajasthan.gov.in** Email: **secraj@rajasthan.gov.in**

स्टेशनरी प्रदाय के लिये

<u>निविदा प्रपत्र</u>

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	:	20.07.2021 सांय 4:00 बजे तक
निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	:	22.07.2021 दोपहर 3:00 बजे
निविदा प्रपत्र शुल्क	:	**200/– रू.**

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता मय टेलिफोन/मोबाईल नं. : ....
2. निविदा **सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर** को सम्बोधित की जानी चाहिये।
3. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांकः एफ. 3(75)स्टोर/रानिआ/2019/.................दिनांक...................
4. हम सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या................दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तों से तथा इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
5. निविदा शुल्क राशि रू. 200/– नकद/रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर चैक संख्या .... दि. .... के द्वारा जमा करवा दी गई है।
6. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–ख के कॉलस संख्या 5 में अंकित की जाने वाली दरे जी. एस.टी. रहित (Excluding GST) अंकित की जावे।
7. सामग्री जिसके नमूने चाहे गये है, पृथक से सीलबन्द लिफाफे मे आयोग को भिजवाने होंगे।
8. निविदादाता 01 प्रतिशत बिड सिक्योरिटी के स्थान पर संलग्न प्रारूप में 50 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्योरिटी के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करे, **घोषणा पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा** (संलग्न किया जावे)।
9. सामग्री की आपूर्ति आदेश दिये जाने के अधिकतम 7 दिवस मे FOR आयोग कार्यालय मे करनी होगी। अत्यावश्यक परिस्थिति मे आपूर्ति एक दिन मे भी करनी होगी।
10. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त होने के पश्चात् माल सप्लाई करने से पूर्व 500/– रूपये के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
11. दरें अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष के लिये विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। इस अवधि में मात्रा की कमी/बढोतरी आयोग द्वारा की जा सकेगी।
12. निविदा के साथ फर्म का GST पंजीयन एवं गत तिमाही तक का GST चुकता प्रमाण पत्र अथवा GST बकाया नहीं होने संबंधी शपथ पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न कर दी गई है।
13. निविदा खोलने के समय फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
14. सफल निविदादाता को नियमानुसार 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) जमा करानी होगी।
15. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र संलग्न है।
16. बोली दाता का विवरण परिशिष्ठ–क की पूर्ति कर संलग्न कर दिया गया है।
17. मैं/हम राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांकः एफ. 3(75)स्टोर/रानिआ/2019/.................दिनांक................... में वर्णित सभी शर्तों मय परिशिष्ठ–''क'' ''ख'' अनुलग्नक अ ब स द (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है) तथा दी गई उक्त सूचना की अतिरिक्त शर्तों से भी बाध्य होना स्वीकार करते है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिये नियम 68)

टिप्पणी:– **निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाऐं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।**

1. निविदा को उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिये।

2. अधिकृत/वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाऐं :– निविदाए मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस.आर. प्ररूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
(ii) संविदा के संबंध में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. निविदा के साथ फर्म का GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं गत तिमाही तक का GST चुकता प्रमाण पत्र अथवा GST बकाया नहीं होने संबंधी शपथ पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

5. **GST पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र (Clearance certificate) कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित GST अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह निविदा नहीं देगा। GST पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिये**

6. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने के अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

7. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण/कम्प्यूटराईज होगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

8. दर अंकन में कोई त्रुटि (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो, तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।

9. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिये तथा उसमें सभी अनुषांगिक (Incldental) प्रभारों एवं अन्य करों आदि को शामिल करना चाहिये। किन्तु GST को शामिल नही किया जाना है। मूल निविदा फॉर्म के साथ संलग्न परिशिष्ठ–ख मे ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाऐं। विभागीय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नही होगी।

10. **बातचीत (Negotiation)** :– (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी।
(क) जब बोली लगाने वालो के द्वारा मिलकर समूह कीमते (Ring Price) दी गई हो या
(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

11. **मूल्य अधिमान** :– मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर राजस्थान से बाहर के उद्योंगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योंगो को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायेगी।

12. **विधि मान्यता** :– निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

13. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग्स आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राईंग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

14. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सबलेट) पर नहीं देगा।

15. जिन मदों के नमूने अनिवार्य हैं उन मदों में प्राप्त नमूनों की जांच क्रय समिति द्वारा की जायेगी तथा अनुपयुक्त नमूनों की दर पर विचार नहीं किया जायेगा।

16. **विशेष विवरण (स्पेशिफिकेशन)** :–

(i) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो, उन मदों को पूर्ण रूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिये।

(ii) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हो, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा।

(iii) वारंटी एवं गारंटी का खंडः निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 6 माहो की अवधि के लिये यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि 6 माहों की अवधि में, उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं की उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे रद्द करने के लिये अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुऐं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिये कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके, उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

17. **सप्लाईः–** आदेशित सामग्री की सप्लाई आयोग द्वारा निर्धारित स्थान/आयोग के भण्डार कक्ष पर करानी होगी। इस हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा/अन्य खर्चे का भुगतान नही किया जायेगा। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओ की खरीद नही करता है या निविदा प्रपत्र मे निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा मे माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नही होगा। न्यूनतम मात्रा की कोई गारंटी नही दी जायेगी। सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहां आवश्यक हो

या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहो से कराया जाएगा । सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणो के परिणामस्वरूप निहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाये जाने पर ही स्वीकार किया जाएगा।

18. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने मे असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नही करने पर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।

19. **परीक्षण प्रभार** : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जांएगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरो या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नही है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

20. **रद्द करना (Rejection)** :– (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नही की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasible) नही समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणो से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

21. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिवस के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

22. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

23. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नही की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। यह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

24. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

25. मात्रा की सीमा –आदेश को फिर से देना :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50% तक की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से

एक माह से अधिक बाद की नही होगी। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।

26. **(1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) :–**

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप–17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानो (स्टोर्स) के लिए निविदाएें स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।

(ii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा।

(iii) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगें:–

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्किप्ट/विलेख, यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(iv) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद एवं दर संविदा की अवधि समाप्ति या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नही है, तो प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है उनके द्वारा निदेशक, उद्योग से पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर निविदा के अनुमानित मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी। लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगों के मामले में, जिनके मामले ओद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड (बी.आई. एम.आर.) के समक्ष लम्बित है, प्रदाय आदेश की रकम (निविदा के अनुमानित मुल्य) का 1 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान किया जावेगा।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगें। प्रतिभूति राशि के स्थान पर नियमानुसार प्रतिभूति घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों मे समपहृत किया जाएगा–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

27. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को , चाहे वह न्यूनतम न हो, स्वीकृत करने या किसी निविदा को बिना कारण बतलाये अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिये निविदा दी गई है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक से अधिक को वितरित करने का, अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. (1) I. निविदा प्रपत्र में सुर्पुदगी के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

II. परिसमापित नुकसानी – परिसमापित नुकसानी के साथ सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के अधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जायेगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है।

(क) विहित सुर्पुदगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये – 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिये – 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिये – 7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये – 10%

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
4. यदि प्रदाय करता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
5. यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुर्पुदगी अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

29. **भुगतान** – सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गये माल के संबंध में सा.वि. ले.नि. के अनुसार उचित प्रारूप में बिल 03 प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

30. **वसूलियां** – परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता द्वारा कम प्रदाय, टूट–फूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान P.D.R. Act या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

31. जी.एस.टी. की दरो मे परिवर्तन की स्थिति मे माल सप्लाई के समय प्रचलित दर लागू होगी।

32. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता कोई ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा।

33. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर में वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

34. उक्त बोली के क्रम में सम्पादित अनुबन्ध के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय किया जा सकेगा, जो कि दोनो पक्षों को मान्य होगा।

35 समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालय में की जायेगी एवं अन्यत्र नहीं की जायेगी।

36 निविदा प्रपत्र के साथ आनलाईन भुगतान हेतु केन्सिल चैक की प्रति एवं बैंक का नाम तथा बैंक का आइ.एफ.एस.सी. कोड आदि का प्रमाण संलग्न करना होगा।

37. सा.वि. एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगें।

(प्रवीण कुमार)
कार्यालयाध्यक्ष
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

मैने उपरोक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तो से प्रतिबधित रहूंगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मुहर

निविदादाता का नाम व डाक का पता
टेलिफोन/मोबाईल नम्बर

परिशिष्ठ–क

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

बोलीदाता का विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावें)

1	सामग्री / सेवा का नाम, जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या एवं ई–मेल का पता	
3	फर्म का पंजीकरण क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	
4	जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न की जावे)	
5	जी.एस.टी. बकाया नही होने संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (प्रति संलग्न की जावें)	
6	निविदादाता बिड सिक्योरिटी के स्थान पर संलग्न प्रारूप में 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्योरिटी के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करें। घोषणा पत्र के बिना किसी भी निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा (संलग्न किया जावे)	
7	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / रसीद संख्या (संलग्न की जावे)	

बोली दाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता

परिशिष्ठ–ख

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

विविध स्टेशनरी/कम्प्युटर स्टेशनरी सामग्री की सूची एवं दर

क्र.सं.	विवरण		मार्का	अनिवार्य नमूना	दर प्रति नग जीएसटी रहित
1	2		3	4	5
1.	स्टेपलर पिन पैकेट	Small 10 Nos	Kores	नहीं	
2.	स्टेपलर पिन पैकेट	24/6	Kores	नहीं	
3.	प्लास्टिक फोल्डर		L Type with Pocket	नहीं	
4.	ऑलपिन कुशन			हाँ	
5.	फेवी ग्लू स्टीक	15 Gm	Fevi	नहीं	
6.	स्टेपलर छोटे	10 Nos	Kangaroo	नहीं	
7.	स्टेपलर बड़ा	24/6	Kangaroo	नहीं	
8.	फोटो स्टेट पेपर white	A-4, 75 GSM	J.K. Copier Red	नहीं	
9.	फोटो स्टेट पेपर white	FS, 75 GSM	J.K. Copier Red	नहीं	
10	फोटो स्टेट पेपर Light Blue	A-4, 80 GSM	Matrix	नहीं	
11	फोटो स्टेट पेपर Light Blue	FS, 75 GSM	Matrix	नहीं	
12.	वाईट फ्लूड पेन		Kores	नहीं	
13.	गोंद की शीशी	150 ml.	Camle	नहीं	
14.	गोंद की शीशी	700 ml.	Camle	नहीं	
15.	ऑलपिन पैकेट		BCR	नहीं	
16.	फाईल लैस	Superior Quality		हां	
17.	फाईल टैग	Superior Quality		हां	
18.	फाईल पैड	Superior Quality		हां	
19	स्टॉम्प पैड	Medium Size	Ashoka	नहीं	
20.	रजिस्टर सादा	1 qr.	100 Page	हाँ	
21.	रजिस्टर सादा	2 qr.	200 Page	हाँ	
22.	रजिस्टर सादा	3 qr.	300 Page	हाँ	
23.	रजिस्टर सादा	4 qr.	400 Page	हाँ	
25.	पैन साधारण		Cello	नहीं	
26.	पैन	Ball	Reynolds Jetter aerosoft	नहीं	
27.	पैन Pilot		HiTech Point V7	नहीं	
28.	रूल पैन्सील	HB	Natraj	नहीं	
29.	रीफील	Ball	Reynolds Jetter aerosoft	नहीं	
30.	स्लीप पैड	No. 23 Small		हाँ	
31	स्लीप पैड	No. 33 Big		हाँ	
32.	स्लीप पैड मीटिंग		20 Page	हाँ	
33.	Spiral note book		100 Page	हाँ	
34.	शॉर्ट हैण्ड नोट बुक		100 Page	हाँ	
35.	Pen Drive	16 GB	Kingston	नहीं	
36.	Pen Drive	32 GB	Kingston	नहीं	

37.	Pen Drive	64 GB	Kingston	नहीं	
38.	HP लेजर प्रिन्टर टोनर कार्टिज	Hp Laser MFP 1216	HP 88A	नहीं	
39.	लेजर प्रिन्टर टोनर कार्टिज	RICOH Printer 310DN	RICOH High Copy ERP Code 407243	नहीं	
40.	लेजर प्रिन्टर टोनर कार्टिज	Hp Laser Printer MFP 1005	HP 12A	नहीं	
41.	EPSON Cartedge			नहीं	
42.	External Hard Disk	500 GB 1 TB 2 TB	Segate Segate Segate	नहीं	
43.	कम्प्यूटर माऊस		Logitech	नहीं	
44.	Key Board		TVS Gold Bharat	नहीं	
45.	पेपर वेट कांच वाले			हाँ	
46.	लिफाफे लेमिनेशन	16x12		हाँ	
47.	लिफाफे कपड़ा	16x12		हाँ	
48.	लिफाफे सफेद	11x5		हाँ	
49.	लिफाफे सफेद	9x4		हाँ	
50.	लिफाफा खाकी फाईल साईज			हाँ	
51.	लिफाफा A4 Size			हाँ	
52.	बस्ते			हाँ	
53.	डस्टर			हाँ	
54.	फैक्स रीबिन	KX 701	Panasonic	नहीं	
55.	पंचिंग मशीन		Kangaro	नही	
56.	मार्कर		Cello	हां	
57.	हाईलाइटर		Faber Castell	हां	
58.	पोकर	Superior Quality		हां	
59.	पेपर कटर	Superior Quality		हां	
60.	टैग पैकिट	Superior Quality		हां	
61	फ्लेग	Superior Quality		हां	

सभी दरें जी.एस.टी. रहित **(Excluding GST)** प्रस्तुत की गई है। नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मुहर

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

(a) have controlling partners/ shareholders in common; or

(b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

(f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

अनुलग्नक–ब

Declaration by The Bidder regarding Qualification

In relation to my/ our Bid submitted to ………………………………………………… for procurement of ……………………………………………… response to their Notice Inviting Bid No. ………………………………………………………… Dated………………………….. I/ We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/ We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/ We have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/ We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/ our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/ our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/ We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/ our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/ our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/ We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place :

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

अनुलग्नक–स

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is Secretary, State Election Commission, Jaipur .

The designation and address of the second Appellate Authority is Add. Chief Secretary, Rural development and panchayati raj department.

(1) **Filing an appeal**

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, May file a second Appeal to second Appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first Appellate authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for Filing Appeal**

(a) Fee for filing appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The Appellate Authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

अनुलग्नक–द

बोलीदाता द्वारा घोषणा / शपथ पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों/ सेवाओं के लिए बोली दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट/पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था/इकाई हूँ/हैं तथा माल/सेवा आपूर्ति में विगत 5 वर्षों मे माल/सेवा आपूर्ति के संतोषप्रद कार्य नहीं करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में माल/सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं हैं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये अथवा मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना, तथ्य, प्रमाण–पत्र या विवरण आदि अनुबन्ध अवधि के दौरान् झूठी या अपूर्ण पाई जाये, तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्रत कर लिया जायेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Form of Bid-Securing Declaration

(50 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To:
....
....

We, The Undersigned, declare that;
We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bid;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
(e) If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.
We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) The execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) Thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) The cancellation of the procurement process; or
(v) The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed : ....
Name : ....
In the capacity of : ....
Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :
Dated on day of :
Corporate Seal ....
[Note :- In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submetting the bid.]

Form No. – 1

Memorandum of Appeal
(See sub-rule 1 of rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ………………………………………… of ……………………………

Before………………………………………………………(Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   a. Name and father's name of the appellant :
   ……………………………………………………………………………
   b. Official address :
   ……………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………
   c. Residential address :
   ……………………………………………………………………………
2. Name and address of the respondent(s)
   a. ……………………………………………………………………………
   b. ……………………………………………………………………………
   c. ……………………………………………………………………………
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved ……………………………………………
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative
   ……………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………
5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:
6. Grounds of appeal:-
   ……………………………………………………………………………
   …………………………………………………… (Supported by an affidavit)
7. Prayer
   ……………………………………………………………………………

Place ……………………………………

Date ……………………………………

Appellant's Signature

Form

(See Rule 72)

TAX CLEARANCE CERTIFICATE

This is to certify that

(a) Has no tax liability outstanding or has outstanding tax liability amounting to Rs. NIL which has been stayed by .... upto .... or is payable through .... instalments by .... (date) And

(b) Has paid current tax upto the month of .... This certificate is valid upto ....

Dated: